दावते मय्यत

मुसन्निफ़

आला ह़ज़रत मौलाना अह़मद रज़ा ख़ाँ
फ़ाज़िले बरेलवी अ़लैहिर्रह़मह

सोम (तीजा) व चालीसवें में आम दावत का
शरई हुक्म

दावते मय्यत

तारीख़ी नाम

जलियुस्सौत लिनहयिल दावते अमामल मौत

١٣١٠ھ

मुसन्निफ़

आलाहज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा बेरेलवी रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हु

तरतीब

मौलाना अब्दुल मुबीन नौमानी मिस्बाही

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अहमद उर्फ़ मुहम्मद महताब अली

(M.Sc.CAIIB)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

ख़ुलासा किताब

ग़ौर किजिए तो यह बात खुल कर सामने आती है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन में ग़ैर शऊरी तौर पर अकसर हिन्दुओं की रस्मों ने जगह ले ली है शायद उन्हीं रस्मों में से एक मरने के बाद दावत भी है जो अहले मय्यत बड़े धूम धाम से करते हैं और बाज़ लोग इसे भी एक काम कहते हैं और बड़े फ़ख़्र के साथ कहते हैं कि फ़लाँ का काम फ़लाँ ने बड़ी शान से किया। यह अल्फ़ाज़ हिन्दुओं के ही मालूम होते हैं वर्ना इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं।

इसी सिलसिले में एक सवाल के जवाब में आलाहज़रत फ़ाज़िले बरेलवी ने लिखा है कि यह बहुत सी वजहों से नाजाइज़ है।

1. यह दावत ख़ुद नाजाइज़ बिदते शनीआ व क़बीहा है। इसलिए कि ऐसी दावत ख़ुशी के मौक़े पर होती है नाकि ग़मी में इस किताब में हदीस और बहुत सी किताबों से यह साबित किया है कि शरा को यह दावत हरगिज़ पसन्द नहीं।
2. इसलिए कि अगर वुरसा में कोई यतीम भी है तो यह और आफ़त सख़्ततर है इसलिए कि यतीम का नाहक़ माल खाना पेट में अंगारे भरना है और अगर नाबालिग़ हो तो उसका माल ज़ाए करना है और यह नाजाइज़ है यह इसलिए कि उसके माल का इख़्तयार किसी को नहीं और अगर बालिग़ मौजूद नहीं तो ग़ैर के माल को बग़ैर उसकी इजाज़त ख़र्च करना हुआ और यह भी नाजाइज़ है। हाँ अगर फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए खाना पकवाएं तो हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है बशर्ते कि कोई आक़िल बालिग़ अपने माले ख़ास से करे या तर्का से करे तो सब वारिस मौजूद व बालिग़ राज़ी हों।

3. औरतें इकट्ठा होती हैं और नाजाइज़ काम करती हैं मसलन चिल्ला कर रोना पीटना बनावट से मुँह ढाकना वग़ैरा वग़ैरा यह सब काम नौहा है और नौहा हराम है ऐसे मजमे के लिए मय्यत के अज़ीज़ों का खाना भेजना भी जाइज़ नहीं।

4. अकसर लोगों को इस बुरी रस्म की अदाएगी में मजबूरन तानों से बचने के लिए और जाहिलों की लानत व मलामत के ख़ौफ़ से वुसअत से ज़्यादा दावत करनी पड़ती है बल्कि ज्यादातर क़र्ज़ की .ज़ुरूरत पड़ती है और देखा यह भी गया है कि बाज़ वक़्त सूद पर क़र्ज़ लेते हैं जो ख़ालिस हराम है। यहाँ तक कि मय्यत वाले बेचारे अपने ग़म को भूल कर इस आफ़ते नागाहनी में फंस कर रह जाते हैं, ऐसा तकल्लुफ़ तो शरीअत ने किसी मुबाह काम के लिए भी पसन्द नहीं किया जबकि यह बुरी रस्म। ग़र्ज़ अच्छाई का कोई पहलू नहीं मौला तआला मुसलमानों को अक़्ले सलीम अता फ़रमाए और इस बुरी रस्म से बचें जिसमें दीन व दुनिया दोनों का नुक़सान है और तानों का ख़्याल न करें ---- अल्लाह हिदायात दे।

सिर्फ़ पहले ही रोज़ हमसायों और अज़ीज़ों का इतना खाना पका कर भेजना जिसे अहले मय्यत दो वक़्त खा सकें और इसरार करके खिलाना मसनून है मगर उस मेले के लिए भेजने का हरगिज़ हुक्म नहीं, तफ़सील के लिए वर्क़ उलटिए और किताब मुलाहिज़ा कीजिए। इस किताब को जदीद तरतीब व तर्जमा देकर मौलाना अब्दुल मुबीन नौमानी साहब ने और ज़्यादा आसान व आम फ़हम बना दिया है।

मुहम्मद फ़ज़्ले हक़
मुहतमिम दारुल उलूम ग़ौसिया निज़ामिया
जमशेद पुर, बिहार

بسم الله الرحمن الرحيم ۝ نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جلی الصوت لنهی الدعوة امام الموت

जलियुस्सौत लिनहयिल दावते अमामल मौत

(बलन्द आवाज़ मौत के बाद दावत की मुमानअत)

मसअला : क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि अक्सर हिन्दुस्तान में रस्म है कि मय्यत के रोज़े वफ़ात से उसके अइज़्ज़ा व आक़ारिब व अहबाब की औरतें उसके यहाँ जमा होती हैं इस एहतमाम के साथ जो शादियों में किया जाता है फिर कुछ दूसरे दिन अक्सर तीसरे दिन वापस आती हैं। बाज़ चालीसवाँ तक बैठती हैं। इस मुद्दते इक़ामत में औरत के खाने पीने पान छालिया का एहतमाम मय्यत के घर वाले करते हैं जिसकी वजह से अच्छा ख़ासा ख़र्च होता है जो उन पर बार होता है और अगर इस वक़्त उनका हाथ ख़ाली हो तो ज़ुरूरत से क़र्ज़ लेते हैं। यूँ न मिले तो सूदी निकलवाते हैं अगर न करें तो लोग ताने देते हैं और बदनाम होते हैं। यह जाइज़ है या क्या? ----- बय्यनू तूजरू यानी बयान करो और उसका अज्र पाओ

अलजवाब

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَرْسَلَ نَبِیَّنَا الرَّحِیْمَ الْغَفُوْرَ ؕ بِالرِّفْقِ وَالتَّیْسِیْرِ
وَاَعْدَلِ الْاُمُوْرِ ؕ فَسَنَّ الدَّعْوَۃَ عِنْدَ السُّرُوْرِ دُوْنَ الشُّرُوْرِ ؕ صَلَّی اللّٰہُ
تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَبَارَکَ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہِ الْکِرَامِ وَصَحْبِہِ الصُّدُوْرِ ؕ

सुबहानल्लाह! ऐ मुसलमान यह पूछता है जाइज़ है या क्या? यूँ पूछ कि यह नापाक रस्म कितने क़बीह और शदीद गुनाहों सख़्त व शनीअ (बुरी) ख़राबियों पर मुश्तमिल है यानी इसमें कितनी बुराईयाँ शामिल हैं।

अव्वलन (प्रथम)

यह दावत ख़ुद नाजाइज़ बिदअते शनीआ क़बीहा (ख़राब व बुरी) है। इमाम अह़मद अपनी मसनद और इब्ने माजा सुनन में हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी :-

"हम गिरोहे सहाबा अहले मय्यत के यहाँ जमा हों और उनके खाना तैयार कराने को मुर्दे की नौहा व मातम करने से शुमार करते थे जिस की हुरमत पर मुतवातर हदीसें हैं।"

हदीस :- इमाम मुहक़्क़िक़ अलल्इतलाक फ़तहुल क़दीर शरहे हिदाया में फ़रमाते हैं :-

"अहले मय्यत की तरफ़ से खाने की दावत तैयार करनी मना है कि शरा ने दावत ख़ुशी में रखी है न कि ग़मी में और यह बिदअते शनीआ (बुरी बिदअत)"

हदीस : इसी तरह अल्लामा हसन शुरुम्बुलाली ने मराक़िलफ़लाह में फ़रमाया :-

"अहले मय्यत के खाने की ज़ियाफ़त (मेहमानी) करना मुकरूह है इसलिए कि दावत ख़ुशी में दी जाती है न कि ग़मी में और यह बुरी बिदअत है।"

हदीस :- फ़तावा ख़ुलासा व फ़तावा सिराजिया व फ़तावा ज़हीरिया व फ़तावा तातारख़ानिया और फ़तावा ज़हीरिया से ख़ज़ानतुल मुफ़्तीईन किताबुल कराहियह और तातारख़ानिया से फ़तावा हिन्दिया में क़रीब क़रीब इन्हीं अल्फ़ाज़ में है :-

"ग़मी में यह तीसरे दिन की दावत जायज़ नहीं। ख़ुलासा में इतना और है कि कि दावत ख़ुशी में होती है।"

हदीस :- फ़तावा इमाम क़ाज़ी ख़ाँ किताब अल हज़्र वल इबाहत में है :-

"ग़मी में ज़ियाफ़त ममनूअ है कि यह अफ़सोस के दिन हैं तो जो ख़ुशी में होता है उनके लायक़ नहीं"

हदीस :- तबीनुल हक़ाइक़ इमाम ज़ैलई में है :-

"मय्यत के लिए तीन दिन बैठने में कुछ मज़ायक़ा (हर्ज) नहीं जबकि किसी मना किए गए काम को न किया जाये जैसे तकल्लुफ़ के तौर पर फ़र्श बिछाना और मय्यत की तरफ़ से खाने"

हदीस :- इमाम बज़्ज़ाज़ी वजीज़ में फ़रमाते हैं :-

"मय्यत के पहले या तीसरे दिन या हफ़्ता के बाद जो खाने तैयार कराये जाते हैं सब मुकरुह व ममनू हैं।"

हदीस :- अल्लामा शामी (रद्दुल मुहतार) में फ़रमाते हैं "मेअराजुद्दराया शरहे हिदाया ने इस मसअले में बहुत कलाम तवील किया और फ़रमाया सब नामवरी और दिखावे के काम हैं इनसे परहेज़ किया जाए।

हदीस :- जामेउर्रुमूज़ आख़िरुल कराहियह में है :-

"तीन दिन या कम ताज़ियत लेने के लिए मस्जिद में बैठना मना है और इन दिनों में ज़ियाफ़त भी ममनूअ और उसका खाना भी मना जैसा कि ख़ैरतुल फ़तावा में तसरीह की।"

हदीस :- और फ़तावा अनक़रावी और वक़िआतुल मुफ़्तीईन में है :-

"तीन दिन दावत और इसका खाना मुकरुह है कि दावत तो ख़ुशी में मशरूअ (जाइज़) हुई है।

हदीस :- कशफ़ुलग़ता में है :-

"अहले मय्यत का ताजियत करने वालों के लिए दावत करना और उनके लिए खाना पकाना मुकरूह है। तमाम रिवायात इस पर मुत्तफ़िक़ हैं इसलिए कि उन लोगों को मुसीबतज़दा होने की वजह से खाना तैयार करना दुशवार है।"

इसी में है :-

"तो जो रिवाज बिगड़ गया है कि अहले मुसीबत सोम के दिन खाना पकाते हैं और ताज़ियत करने वालों और दोस्तों में तक़सीम करते हैं ये नाजाइज़ और ग़ैर शरई है और ख़जानतुल मुफ़्तीईन में इसकी सराहत है क्योंकि ये इस सबब से ममनूअ है कि दावत ख़ुशी के वक़्त जायज़ है नाकि ग़मी के वक़्त और यही वजह जम्हूर के नज़दीक मशहूर है।

सानियन (द्वीतीए)

ग़ालिबन वुरसा में कोई बच्चा यतीम या और बच्चा नाबालिग़ होता है या और वुरसा मौजूद नहीं होते

न उनसे इसका इज़्न (इजाज़त) लिया जाता है जब तो यह अम्र सख़्त हराम शदीद पर मुतज़म्मिन होता है यानी शामिल होता है।

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

"बेशक जो लोग यतीमों के माल नाहक़ खाते हैं बिला शुबा वह अपने पेट में अंगारे भरते हैं और क़रीब है कि जहन्नम के गहराओ में जाएंगे।"

माले ग़ैर में बिना इजाज़त तसर्रूफ़ यानी ख़र्च करना ख़ुद नाजाइज़ है। अल्लाह तआला का फ़रमान है :-

"और आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ न खाओ। (कन्ज़ुल ईमान)"

ख़ुसूसन नाबालिग़ का माल ज़ाय करना जिसका इख़्तेयार न ख़ुद उसे है न उसके बाप न उसके वसी (वह शख़्स जिसको वसीयत की गई हो) को।

और अगर इनमें कोई यतीम हो तो आफ़त सख़्ततर है। वल अयाज़ुबिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ अगर मोहताजों को देने को खाना पकवाएं तो हर्ज नहीं बल्कि ख़ूब है। बशर्ते कि कोई आक़िल बालिग़ अपने माले ख़ास से करे या तर्का से करें तो सब वारिस मौजूद व बालिग़ राज़ी हों।

हदीस :- ख़ानिया व बज़्ज़ाज़िया व तातारख़ानिया व हिन्दिया में है :-

"अगर फ़ुक़रा के लिए खाना तैयार किया तो ख़ूब है जबकि तमाम वुरसा बालिग़ हों और अगर वुरसा में कोई बच्चा हो तो तर्के से खाना तैयार कराये"

नीज़ फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ में है :-

"अगर मय्यत का वली फ़ुक़रा के लिए खाना तैयार करे तो बेहतर है ये कि वुरसा में कोई नाबालिग़ हो तो तर्के के माल से ऐसा न करे"

सालिसन (तृतिए)

"ये औरतें कि जमा होती हैं मुकरूह अफ़आल करती हैं मसलन चिल्ला कर रोना पीटना बनावट से मुँह ढांकना --- और यह सब नेहायत (नौहा करना यानी बयान करके रोना) है और नेहायत हराम है ऐसे मजमे के लिए मय्यत के अज़ीज़ों और दोस्तों को भी जाइज़ नहीं कि खाना भेजें कि गुनाह की इमदाद (मदद) होगी।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

"और गुनाह और ज़्यादती पर बाहम मदद न दो। (कन्ज़ुल ईमान)"

नाकि लोगों का अहले मय्यत का खाने और दावत का इन्तेज़ाम करना कि सिरे से नाजाइज़ है तो इस नाजाइज़ मजमे के लिए नाजाइज़तर होगा।

कशफ़ुलग़ता में है :-

"दूसरे और तीसरे दिन अहले मय्यत के लिए खाना बनाना जबकि नौहा करने वालों का मजमा हो तो मुकरूह है इसलिए कि उनकी गुनाह पर मदद करना है।"

राबेअन (चतुर्थ)

अक्सर लोगों को इस बुरी रस्म की वजह से अपनी ताक़त से ज़्यादा दावत करनी पड़ती है यहाँ तक कि मय्यत वाले बेचारे अपने ग़म को भूलकर

इस आफ़त में मुब्तिला होते हैं कि इस मेले के लिए खाना, पान छालिया कहाँ से लायें और बारहा ज़ुरूरत क़र्ज़ लेने की पड़ती है। ऐसा तकल्लुफ़ शरा को किसी अम्रे मुबाह के लिए भी ज़िन्हारा पसन्द नहीं यानी किसी जाइज़ काम के लिए भी इतना तकल्लुफ़ पसन्द नहीं नाकि एक रस्मे ममनूआ के लिए। फिर इस की वजह से जो दिक़्क़तें पड़ती हैं ख़ुद ज़ाहिर हैं फिर अगर क़र्ज़ सूदी मिला तो हरामे ख़ास हो गया और मआज़ अल्लाह लानते इलाही से पूरा हिस्सा मिला कि बे-.जुरूरत शरिआ सूद देना भी सूद लेने के मिस्ल बाइसे लानत है जैसा कि सही हदीस में फ़रमाया।

ग़र्ज़ इस रस्म की शनाअत व मुमानअत में शक नहीं। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला मुसलमानों को तौफ़ीक़ बख़्शे कि क़तअन ऐसी बुरी रस्मों जिनसे इन के दीन -ओ- दुनिया का नुक़सान है तर्क कर दें और बेहूदा तानों का लिहाज़ न करें। (वल्लाहुल हादी यानी अल्लाह तआ़ला हिदायत देने वाला है)

तम्बीह : अगर्चे सिर्फ़ एक दिन यानी पहले ही रोज़ अज़ीज़ों हमसायों को मसनून है कि अहले मय्यत के लिए इतना खाना पकवाकर भेजें जिसे वह दो वक़्त खा सकें और यह खाना इसरार करके उन्हें खिलायें मगर यह खाना सिर्फ़ अहले मय्यत ही के क़ाबिल होना सुन्नत है। इस मेले के लिए भेजने का हरगिज़ हुक्म नहीं और इनके लिए भी फ़क़त पहले ही दिन का हुक्म है आगे नहीं।

कशफ़ुलग़ता में है :-

"मुस्तहब है कि मय्यत के क़रीबी और पड़ोसी लोग खाना खिलायें जो उनका पेट भर दे, एक दिन रात और कोशिश करके उनको खिलायें और अहले मय्यत के अलावा दूसरे को ये खाना मुकरुह है।"

आलमगीरी में है :-

अहले मुसीबत की तरफ़ खाना ले जाना और उनके साथ मिलकर खाना पहले दिन जाइज़ है। उनके तजहीज़ व तकफ़ीन में मशग़ूल होने के सबब और उसके बाद मुकरूह है। इसी तरह तातारख़ानिया में है।

(फ़तावा रज़विया जिल्द चहारुम सफ़ा 138-140)

मसअला : मय्यत के घर का खाना जो अहले मय्यत सोम (तीजा) तक बतौर मेहमानी के पकाते हैं और सोम के चने बताशों का लेना कैसा है?

अलजवाब : मय्यत के घर का वह खाना तो अलबत्ता बिला शुबह नाजाइज़ है जैसा कि फ़क़ीर ने अपने फ़तवे में मसअला बयान किया और सोम के चने, बताशे, कि बग़र्ज़े मेहमानी नहीं मंगाये जाते बल्कि सवाब पहुँचाने के इरादे से होते हैं यह इस हुक्म में दाख़िल नहीं न मेरे उस फ़तवे में इन की निसबत कुछ ज़िक्र है। ये अगर मालिक ने सिर्फ़ मौहताजों के देने के लिए मंगाये और यही उसकी नीयत है तो ग़नी को उन का भी लेना नाजाइज़ और अगर उसने आम हाज़रीन पर तक़सीम के लिए मंगाये हैं तो अगर ग़नी भी ले लेगा तो गुनाहगार न होगा। और यहाँ बहुक्मे

उर्फ़ व रिवाज आम हुक्म यही है कि वह ख़ास मसाकीन के लिए नहीं होते तो ग़नी को भी लेना नाजाइज़ नहीं। अगरचे ऐहतराज़ यानी बचना ज़्यादा पसन्दीदा और इसी पर हमेशा से इस फ़कीर का अमल है। वल्लाह तआला आलम।(फ़तावा रज़विया सफ़ा 138)

मसअला : हज़रत की ख़िदमत में अर्ज़ है कि बुज़ुर्गों के मज़ार पर जायें तो फ़ातिहा किस तरह पढ़ा करें और फ़ातिहा में कौन-कौन चीज़ें पढ़ा करें।

अलजवाब : हाफ़िज़ साहब करमफ़र्मा अस्सलामुअ़लैकुम, मज़ारात शरीफ़ पर हाज़िर होने में पांयती की तरफ़ से जायें और कम-अज़-कम चार हाथ के फ़ासले पर मवाजहे (मुक़ाबिल यानी सामने) में खड़ा हो, और मुतवस्सत (दरम्यानी) आवाज़ बाअदब सलाम अर्ज़ करे, अस्सलामुअ़लैकुम या सय्यदी वरह़मतुल्लाह वबराकातुह फ़िर दुरूदे ग़ौसिया तीन बार, अलह़म्द शरीफ़ एक बार, आयतल कुर्सी एक बार, सूर-ए-इख़लास सात बार, फ़िर दुरूदे ग़ौसिया सात बार और वक़्त .फ़ुरसत दे तो सूर-ए-यासीन और सूर-ए-मुल्क भी पढ़ कर अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला से दुआ करे कि इलाही इस क़िरात पर इतना सवाब दे जो तेरे करम के क़ाबिल है न इतना जो मेरे अमल के क़ाबिल है और इसे मेरी तरफ से इस बन्दा मक़बूल को नज़्र पहुँचा फ़िर अपना जो मतलब जाइज़ शरई हो उसके लिए दुआ करे और साहिबे मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ावल्ला की बारगाह में अपना वसीला क़रार दे फ़िर इसी तरह

सलाम करके वापस आये। मज़ार को न हाथ लगाये, न बोसा दे, और तवाफ़ बिलइत्तेफ़ाक़ नाजाइज़ है, और सजदा हराम है, वल्लाह तआला आलम।

(फ़तावा रज़विया जिल्द चहारुम सफ़ा 212-213)

इसाले सवाब के चन्द तरीक़े और मय्यत के सवाब के फ़ायदे के चन्द काम

इसलाम की सही मालूमात और शरई मसाइल से नावाक़फ़ियत की बिना पर अवाम ने अपने मुर्दों के इसाले सवाब के लिए धूम-धाम से अइज़्ज़ा व अहबाब (रिश्तेदार वग़ैरा) और अग़निया (अमीर लोग) की आम दावत की जिस बुरी रस्म को रिवाज दे डाला है, इस किताब ने दलाएल से साबित कर दिया कि यक़ीनन यह नाजाइज़ और मुर्दों के लिए ग़ैर मुफ़ीद है। इसका पहला एडीशन जब छप कर सामने आया तो लोग हैरतज़दा होकर फटी नज़रों से देखते रह गये, कि अब तक हम किस ग़लतफ़हमी का शिकार और कैसे अन्धेरे में थे, रुपये बरबाद हुए मशक़्क़तें बर्दाश्त कीं और मक़सद भी हाथ न आया। ऐसे बहुत से लोग जो अब तक इस ग़लत रस्म के पाबन्द थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि यह रस्म नाजाइज़ है तो सवाल करने लगे कि आख़िर अपने मुर्दों के लिए इस के अलावा क्या क्या कर सकते हैं ? लिहाज़ा अवाम की आसानी के लिए यहाँ चन्द ऐसे तरीक़े बयान किये जा रहे हैं जो इस दुनिया से जाने वाले मुसलमानों के लिए सिर्फ़ तोहफ़ए आख़िरत ही नहीं दीन की तबलीग़ और

इसलामी अहकाम की इशाअत का भी बेहतरीन ज़रिया और सदक़ए जारिया हैं।

(1) किसी दीनी मदरसा में अपने मुर्दों की तरफ़ से कोई तामीरी काम कर डालें या तफ़सीर व हदीस और फ़िक़्ह वग़ैरह की ज़ुरूरी किताबें ख़रीद कर वक़्फ़ कर दें।

(2) दीनी मदारिस के ग़रीब व नादार तलबा की किसी भी तरह इमदाद करें ख़ुसूसन उनके खाने, कपड़े और दर्सी किताबों का इन्तेज़ाम करें या मदरसों के मतबक़ में ग़ल्ला वग़ैराह दें।

(3) दीनी किताबें ख़रीद कर अपनी क़रीबी लाइब्रेरी में वक़्फ़ कर दें ताकि अवाम की दीनी मालूमात में इज़ाफ़ा हो।

(4) अपने ख़र्च से कोई दीनी व इसलामी किताब छपवाकर मुफ़्त तक़सीम करें जिस से मुआशरे और अवाम की इसलाह हो।

(5) ख़ुद यही किताब, दावते-मय्यत छपवाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुफ़्त तक़सीम करें ताकि रस्मे बद से मुसलमान बचें और दीगर कारे ख़ैर में हिस्सा लें।

इस काम के लिए आप क़ादिरी किताब घर 35, इस्लामिया मार्केट की तरफ़ रुजू कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो सुहूलत हो सके मुहइया की जाएगी। इन्शाअल्लाह तआला।

कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ के मअनी

अल्फ़ाज़	मअनी
अइज़्ज़ा	रिश्तेदार
अक़ारिब	क़रीब के लोग
आक़िल	अक़्ल वाला
अम्र	काम
इक़ामत	ठहरना
इमदाद	मदद
ग़नी	अमीर
ज़ियाफ़त	मेहमानी
ज़ाए	बरबाद
फ़ुक़रा	फ़क़ीर की जमा
बिदअते हस्ना	वह नया काम जो अच्छा हो
बिदअते सईया	वह नया काम जो बुरा हो
मुतावातिर	लगातार
ममनूअ	मना
मुबाह	वह काम जिसके करने से न गुनाह हो न अज़ाब
मसनून	बेहतर
शनाअत	बुराई
वुरसा	वारिस की जमा